

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./संशोधन/52/2008/145

भोपाल, दिनांक 11/9/08

:: संशोधन ::


लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा निम्न तालिका के कालम-3 में उल्लेखित आदेश के अन्तर्गत अध्यापक संवर्ग के पात्र आवेदकों को अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति दी गई है। तालिका के कालम क्रमांक-2 में अंकित निम्नांकित आवेदकों के द्वारा तालिका के कालम-3 में उल्लेखित संचालनालय के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरान्त तालिका के कालम-4 के अनुसार निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

स.क्र.	आवेदक का नाम, पद एवं कार्यरत संस्था	संचालनालय द्वारा जारी आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	कालम-3 में उल्लेखित संचालनालय के आदेश की स्थिति एवं संशोधन
1	2	3	4
1	श्रीमती करुणा विश्वकर्मा, अध्यापक (विज्ञान), शा. मावि जमुनियाखुर्द, जिला-छिन्दवाड़ा	क्र./शि.क./ए+डी /अजिनि संवि. /06/2008/ 1135-1136, दि. 14.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 05 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा से जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन के अन्तर्गत शा. मावि अगरिया, डामडोंगरी एवं तजपुरा के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। उक्त आदेश में जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन के जा.क्र. 1618, दिनांक 08.09.08 के आधार पर शा. मावि अगरिया, डामडोंगरी एवं तजपुरा के स्थान पर शा. कन्या हाईस्कूल गोहरगंज पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
2	श्रीमती सीमा राय, अध्यापक, शा. मावि विश्रामगंज, जिला-पन्ना	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./017/ 2008/013, दि. 14.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 13 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत अजयगढ़, जिला-पन्ना से जिला पंचायत छतरपुर, जिला-छतरपुर के अन्तर्गत शा. मावि धामची के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। इस शाला में पद रिक्त नहीं बताया गया है। उक्त आदेश में जिला पंचायत छतरपुर, जिला-छतरपुर के जा.क्र. 2445, दिनांक 08.09.08 के आधार पर शा. मावि धामची के स्थान पर शा. उमावि पडरिया पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
3	श्रीमती निर्मला लकडा, अध्यापक, शा. हाईस्कूल बामोरी सिरौज, जिला-विदिशा	क्र./अध्या.संवर्ग/ डी/संवि./154/ 2008/1029-1030, दि. 06.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 16 के द्वारा आवेदक को जिला पंचायत विदिशा जिला-विदिशा से जिला पंचायत रायसेन जिला-रायसेन के अन्तर्गत शा. हाईस्कूल सौंचेत के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। उक्त आदेश में जिला पंचायत रायसेन, जिला-रायसेन के जा.क्र. 3994, दिनांक 01.09.08 के आधार पर शा. हाईस्कूल सौंचेत के स्थान पर शा. नवनी हाईस्कूल वनगवां पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
4	श्रीमती सुनीता विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक, शा. मावि जनकपुर, जिला-पन्ना	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./013/ 2008/995-996, दि. 02.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 07 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत पन्ना जिला-पन्ना से जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. प्रावि धनवई के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। इस शाला में पदपूर्ति होने से पद रिक्त नहीं है। उक्त आदेश में जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर

			के जा.क्र. 4328, दिनांक 06.09.08 के आधार पर शा. प्रावि धनवई के स्थान पर शा. प्रावि बंधा पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
5	श्रीमती वन्दना सुडेले, सहायक अध्यापक, शा. प्रावि वार्ड क्र. 13, जिला-छतरपुर	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./010/ 2008/047-048, दि. 21.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 01 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत छतरपुर जिला-छतरपुर से जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. प्रावि खुरेरी के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। उक्त शाला के रचनाक्रम से पद समाप्त होने से संशोधन चाहिए है। उक्त आदेश में जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर के जा.क्र. 4240, दिनांक 30.08.08 के आधार पर शा. प्रावि खुरेरी के स्थान पर शा. प्रावि खैरियामिर्धा मुरार पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
6	श्रीमती पार्वती राठौर, सहायक अध्यापक, शा. मावि नौनेर, जिला-दतिया	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./013/ 2008/995-996, दि. 02.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 10 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत दतिया जिला-दतिया से जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. प्रावि भदरोली के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। इस शाला के रचनाक्रम से पद समाप्त होने से पद रिक्त नहीं है। उक्त आदेश में जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर के जा.क्र. 4237, दिनांक 30.08.08 के आधार पर शा. प्रावि कछपुरा मुरार पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
7	श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव सहायक अध्यापक, शा. प्रावि मनसाया, जिला-शाजापुर	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./013/ 2008/995-996, दि. 02.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 22 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत कालापिपल जिला-शाजापुर से जनपद पंचायत गुना जिला-गुना के अन्तर्गत शा. प्रावि दुनई/पुरेनी एवं खीरिया करौंद के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। इन शालाओं में पदपूर्ति होने से पद रिक्त नहीं है। उक्त आदेश में जनपद पंचायत गुना जिला-गुना के जा.क्र. 2410, दिनांक 29.08.08 के आधार पर शा. प्रावि दुनई/पुरेनी एवं खीरिया करौंद के स्थान पर शा. प्रावि बीलाबावडी, धमवार एवं खेरीखवा पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
8	श्रीमती सपना नामदेव, अध्यापक, शा. मावि फुलवारी, जिला-पन्ना	क्र./शि.क./एडी /अध्या.संवर्ग/ संवि./38/2008 /107-108, दि. 06.09.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 02 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत पन्ना, जिला-पन्ना से जनपद पंचायत दमोह, जिला-दमोह के अन्तर्गत शा. हाईस्कूल उतराना, रासे के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। जबकि उक्त संस्था का सही नाम शा. बा. हाईस्कूल अमाना, टोरी बताया गया है। उक्त आदेश में शा. हाईस्कूल उतराना, रासे के स्थान पर शा. बालक हाईस्कूल अमाना टोरी पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।
9	श्रीमती पुष्पा त्रिपाठी, अध्यापक, शा. मावि नगोरा, जिला-स्तलाम	क्र./शि.क./ए+डी /अजिनि.संभार/ 15/2008 /63-64, दि. 22.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 01 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत मझगर्वी, जिला-सतना से नगर पालिक निगम रीवा, जिला-रीवा के अन्तर्गत शा. उमावि क्रमांक 2 के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। इस विद्यालय में पद रिक्त नहीं बताया गया है। उक्त आदेश में जिला पंचायत रीवा, जिला-रीवा के जा.क्र. 185, दिनांक 04.09.08 के द्वारा के आधार पर शा. उमावि क्रमांक 2 के स्थान पर शा. कन्या हाईस्कूल बैकुण्ठपुर पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत् रहेगा।

10	श्रीमती प्रभा मिंज, सहायक अध्यापक, शा. प्रावि बड़ागांव, जिला-गुना	क्र./अध्या.संवर्ग/ ए/संवि./008/ 2008/995-996, दि. 02.08.08	कालम-3 में उल्लेखित आदेश के स.क्र. 14 के द्वारा आवेदक को जनपद पंचायत चाचौड़ा, जिला-गुना से जनपद पंचायत मुरार जिला-ग्वालियर के अन्तर्गत शा. प्रावि खुदरपुरा के लिए संविलियन की अनुमति दी गई थी। इस विद्यालय में पद रिक्त नहीं बताया गया है। उक्त आदेश में जनपद पंचायत मुरार, जिला-ग्वालियर के जा.क्र. 4282, दिनांक 02.09.08 के आधार पर शा. प्रावि खुदरपुरा के स्थान पर शा. प्रावि आरोली पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत रहेगा।
----	--	---	--


“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


11/9/08
उप संचालक

१ लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 11/9/08

पृ. क्र./शि.क./एडी/अजिनि संवि./संशोधन/52/2008/ 146
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम रीवा, जिला-रीवा मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर, जिला-विदिशा/रायसेन/छिन्दवाड़ा/पन्ना/छतरपुर/ग्वालियर/दतिया/शाजापुर/गुना/दमोह/रीवा एवं सतना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, जिला-विदिशा/रायसेन/छिन्दवाड़ा/पन्ना/छतरपुर/ग्वालियर/दतिया/शाजापुर/गुना/दमोह/रीवा एवं सतना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-विदिशा/रायसेन/छिन्दवाड़ा/पन्ना/छतरपुर/ग्वालियर/दतिया/शाजापुर/गुना/दमोह/रीवा एवं सतना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तामिया जिला-छिन्दवाड़ा/औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन/अजयगढ़ जिला-पन्ना/पन्ना जिला-पन्ना/मुरार जिला-ग्वालियर/छतरपुर जिला-छतरपुर/दतिया जिला-दतिया/कालापीपल जिला-शाजापुर/गुना जिला-गुना/दमोह जिला-दमोह/मझगवां जिला-सतना एवं चाचौड़ा जिला-गुना मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित आवेदक उपर्युक्त तालिका के कालम-2 अनुसार।


11/9/08
उप संचालक
१ लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश